न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2015/00194 **दायरा दिनांक : 15.07.2015**

उनवान

1– अमरलाल आत्मज गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अडीला, तहसील अटरू, जिला बारां (दिनांक 02.12.2019 से विलोपित)
2– नन्दलाल आत्मज अमरलाल, जाति मीणा
3– राम कुवार आत्मज अमरलाल, जाति मीणा
4– रामप्रसाद आत्मज अमरलाल, जाति मीणा
5– शिशुपाल आत्मज अमरलाल, जाति मीणा
6– रघुवीर आत्मज अमरलाल, जाति मीणा
निवासीगण ग्राम अडीला, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– मथुरालाल आत्मज मूलचन्द, जाति मीणा
2– श्रीमती चम्पाबाई पुत्री मूलचन्द, जाति मीणा
3– पकेश बाई पुत्री मूलचन्द, जाति मीणा
निवासीगण ग्राम मेरमा चाह, तहसील अटरू, जिला बारां
4– चेना बाई पुत्री बिरधी बाई पुत्री मूलचन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम मेरमा चाह, तहसील अटरू, जिला बारां
5– मृतक श्रीमती प्रेमबाई बेवा मूलचन्द जाति मीणा, निवासी ग्राम मेरमा चाह, तहसील अटरू, जिला बारां (नाम विलोपित)
6– लटूरलाल आत्मज नन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम कूण्डी, तहसील अटरू, जिला बारां
7– श्रीमती पन्नीबाई पुत्री नन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम कूण्डी, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 07.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 75/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल हानिहेडा, तहसील अटरू की खाता संख्या 140 की खसरा नम्बर 42/745 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.28 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 53 रकबा 0.45 हेक्टर कुल 3 किता कुल रकबा 0.82 हेक्टर व ग्राम बरला की खाता संख्या 152 की खसरा नम्बर 183 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.02 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 0.41 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर तहसीलदार अटरू को आदेशित किया कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम व माल हानिहेडा की खाता संख्या 140 की खसरा नम्बर 42/745 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.28 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 53 रकबा 0.45 हेक्टर कुल 3 किता कुल रकबा 0.82 हेक्टर, खाता संख्या 152 ग्राम बरला की खसरा नम्बर 183 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.02 हेक्टर कुल

किता 2 रकबा 0.41 हेक्टर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश दिये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत बेदखल आराजी डिक्री (स्वीकार) फरमाकर ग्राम हानिहेडा, तहसील अटरू की 3 किता की 0.82 हेक्टर एवं ग्राम बरला , तहसील अटरू, जिला बारां की 2 किता की 0.41 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण अपीलांट को बेदखल किये जाने का निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमानं में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि उक्त प्रकरण प्रतिवादीगण अपीलान्ट्स के जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु तारीख नियत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत प्रतिवादीगण अपीलांट का जवाब दावा रिकार्ड पर लिये बिना ही शहादत फरीकेन लिये बिना ही, बहस उभयपक्ष की सुने बिना ही दावा वादीगण रेस्पोडेंट डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकाले बिना ही कोई फाइण्डिंग किये बिना ही दावा वादीगण रेस्पोडेंट डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादीगण अपीलान्ट्स उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है, वैधानिक रूप से काबिज है इस कारण कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकाराण की सहमति के आधार पर लोक अदालत में निर्णय किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलान्ट्स द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई थी तथा कोई राजीनामा भी नहीं किया गया था, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गैर कानूनी रूप से मनमाने तौर पर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है। उपरोक्त आराजियात के सम्बन्ध में अपीलांट नम्बर 1 की पत्नि एवं अपीलांट नम्बर 2 लगायत 6 की माता श्रीमति बजरंगीबाई ने मूलचन्द एवं रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में भी उपखण्ड अधिकारी, अटरू के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें गत तारीख 10–6–2015 को वाद निरन्तर राजस्व अभियान टालने के कारण उक्त मुकदमे में कोई आगामी तारीख नियत नहीं की गई है अभियान समाप्त होने के बाद तारीख दी जायेंगी। उनवान मुकदमा बजरंगी बाई वगैरह बनाम मूलचन्द वगैरह प्रकरण संख्या 111/2006 है। अधीनस्थ न्यायालय को दोनों दावों की कन्सोलिडेंट करना चाहिये था। दोनों दावों की एक साथ सुनवाई करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवम् डिक्री सर्वथा अवैध एवं त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादीगण अपीलान्ट्स एवं प्रतिवादी अपीलांट नम्बर 1 की पत्नि एवं अपीलांट नम्बर 2 लगायत 6 की माता श्रीमति बजरंगीबाई के पिता श्रीलाल जी का एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त से उपरोक्त भूमि पर श्रीमति बजरंगीबाई का सम्वत् 2021 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी श्रीलाल जी, बजरंगी बाई एवं परिवारजन होने से बजरंगीबाई तथा प्रतिवादीगण अपीलान्ट्स कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गये है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट्स के विरूद्ध बेदखली का निर्णय एवम् डिक्री सादिर फरमाने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। दिनांक 27–06–2015 की तारीख को अपीलान्ट नम्बर 1, 2, 4, 5 व 6 को कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। वादीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दावा अवधि बाधित था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री फरमाकर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील निरस्त फरमायी जावे।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट्स ने उक्त उनवान की अपील सम्माननीय न्यायालय में पेश की है जिसके साथ प्रार्थीगण अपीलांट दस्तावेज पेश कर रहे हैं।

1— प्रमाणित प्रतिलिपि विचाराधीन वाद बजरंगी बाई बनाम मूलचन्द आदि अन्तर्गत धारा 88—89—91—188 राज०टी०एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू

2— प्रमाणित प्रतिलिपि आर्डर शीट्स की नकल दिनांक 12—06—2014 से दिनांक 22—04—2015 तक

उक्त दस्तावेजात न्यायालय के रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपियां है जिसकी सत्यतता पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता तथा जैन्यून दस्तावेजात है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रस्तुत व दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में 2023(2) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 1019, 2023(2) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 1381 एवं आपराधिक रिट याचिका नम्बर 365/2023 बउनवान श्याम बच्चन बनाम राजस्थान राज्य एस.बी. की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी. पी. सी. के साथ रिकार्ड की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण जवाबदावे में नियत था लेकिन दिनांक 30.06.2015 को जवाब प्राप्त किये बगैर, तनकीयात एवं साक्ष्य के बगैर फैसला कर दिया गया। लोक अदालत/कोर्ट कैम्प में उपस्थिति बाबत समुचित तौर पर तलबी भी नहीं हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यु 2023(2) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 1019, 2023(2) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 1381 BOR एवं श्याम बच्चन बनाम राजस्थान राज्य एस.बी. राजस्थान हाई कोर्ट का भी अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि लोक अदालत पक्षकारों के राजीनामे के आधार पर निर्णय दे सकती है। लोक अदालत में प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य ना तो राजीनामा पेश हुआ एव ना ही जवाब, तनकीयात साक्ष्य के आधार पर निर्णय हुआ है। अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर, तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.07.2024 को उपस्थित होवे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा